



Neutral Citation-2026: AHC:19583

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या - 2758 वर्ष 2026

श्रीमती सावित्री देवीयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार मौर्य, शिव मूर्ति कुशवाहा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 - उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय अधिकारी, सोरांव, तहसील-सोरांव, जिला-प्रयागराज के समक्ष शुरू की गई थी, जिसे बाद संख्या T2502030308709 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही में, दिनांक 14.03.2025 को 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था, और इसके साथ ही संबंधित पक्षों को उक्त संपत्तियों को बेचने या खरीदने से भी रोक दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त अंतरिम आदेश आज भी प्रभावी है और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 06.03.2026 निर्धारित है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश के बावजूद, प्रतिवादीगण इस मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं और विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिनांक 14.08.2025 के आदेश का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस आयुक्त, कमिश्नर प्रयागराज, तथा जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी समस्त शिकायतें प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष लंबित कार्यवाही में प्रस्तुत करता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उन पर शीघ्रतापूर्वक उचित आदेश पारित करेंगे।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5. इसी के मद्देनजर, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष लंबित कार्यवाही में एक आवेदन प्रस्तुत करे। यदि ऐसा किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले पर विचार करे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, इस संबंध में उचित आदेश पारित करे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"